न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 46 / 2013 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. सोनाराम पुत्र हरजीराम जाति विश्नोई निवासी शिव मंदिर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर	**बनाम**	1.तुलछाराम पुत्र रूगाराम 2.पीराराम पुत्र धन्नाराम 3.श्रीराम पुत्र अमलूराम 4.पूनमाराम पुत्र अमलूराम 5.सदराम पुत्र अमलूराम 6.जीया पत्नी सुरताराम 7.छुगणी पत्नी सुरताराम 8.किसनाराम पुत्र सुरताराम 9.निम्बाराम पुत्र हरजीराम 10.मंगलाराम पुत्र हरजीराम(फौत का.मु.) 11.सुजानाराम पुत्र हरजीराम फौत के का.मु. 11/1हनुमानराम पुत्र सुजाराम उम्र 25 वर्ष 11/2दिनेश पुत्र सुजानाराम उम्र 20 वर्ष 11/3बालकृष्ण पुत्र सुजानाराम उम्र 16 वर्ष 11/4तुलसी पत्नी सुजानाराम उम्र 55 वर्ष उतरदाता संख्या 11/3 नाबालिग जरिये कुदरती वली माता तुलसी पत्नी सुजानाराम उतरदाता संख्या 11/4 12.रिड़मलराम पुत्र रामूराम जाति विश्नोई निवासी शिव मंदिर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 171/2012 बअनवान तुलछाराम वगैरा बनाम श्रीराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 28.05.2013 के विरूद्व पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री ओमप्रकाश विश्नोई अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री मोहनलाल चौधरी रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 02.08.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 29 रकबा 25.13 बीघा, खसरा संख्या 398 रकबा 18.05 बीघा ग्राम शिव मंदिर पटवार क्षेत्र धोरीमन्ना तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है। विपार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 28 रकबा 09.03 बीघा व खसरा संख्या 396 रकबा 101.07 बीघा प्रार्थी के खेत एवं सड़क के मध्य पड़ते है। प्रार्थी को सड़क तक पहुंचने के लिए विप्रार्थीगण/अपीलांट के उक्त खेत में से चलने वाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

कदमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। बरसात के मौसम में अपीलांट अपनी अन्य भूमि के साथ रास्ते की भूमि पर भी काश्त कर लेते है, जिससे रेस्पोडेंट/प्रार्थी का आवागमन अवरूद्ध हो जाता है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा मौका रिपोर्ट मंगवाने का आदेश पारित किया गया। उक्त एकपक्षीय मौका रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी व विधिक प्रक्रिया का पालन न करते हुऐ अपनी मनमर्जी से गलत रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधि के प्रावधानों के विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेंट संख्या 10 की फौतदगी की सूचना दिनांक 24.01.2019 को दी गई परन्तु इसके समर्थन में मृत्यु प्रमाण–पत्र आदि दस्तावेज या कायम मुकाम की सूची पेश नहीं की है। राजस्व रिकॉर्ड में भी अभी तक रेस्पोडेंट संख्या 10 ही खातेदार रूप में विद्यमान है। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का मौका न देकर प्रार्थी/उतरदातागण के पक्ष में निर्णय पारित किया गया जो विधि विरूद्ध है एवं एकपक्षीय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा मौका रिपोर्ट मंगवाने का आदेश पारित किया गया। उक्त एकपक्षीय मौका रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी व विधिक प्रक्रिया का पालन न करते हुऐ अपनी मनमर्जी से गलत रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधि के प्रावधानों के विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। आगे अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को रेस्पोडेंट/प्रार्थी संख्या 01 व 02 से ही रिलीफ है। अन्य सभी पक्षकार औपचारिक है जिसकी तलबी की कोई आवश्यकता नहीं है तथा न ही इन्होंने अपनी तरफ से आपति पेश की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

संख्या 29 रकबा 25.13 बीघा, खसरा संख्या 398 रकबा 18.05 बीघा ग्राम शिव मंदिर पटवार क्षेत्र धोरीमन्ना तहसील गुड़ामालानी में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय का निष्कर्ष है कि रेस्पोडेंट/प्रार्थी के पृथक–पृथक दो दिशाओं में स्थित दो खेतों तक सड़क/कटाण मार्ग से रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है। इस संबंध में तहसीलदार गुड़ामालानी के पत्रांक/भू.अ./2013/708 दिनांक 07.02.2013 के साथ प्रस्तुत मौका रिपोर्ट वस्तुस्थिति प्रस्तुत करती है। इसके बिंदु संख्या 01 के अनुसार प्रार्थीगण को मौजा शिव मंदिर के खसरा संख्या 29 व 398 में आवागमन हेतु सड़क तक पहुंचने का निकटतम इकलौता रास्ता खसरा संख्या 28 व 396 में से ही है। इसका तात्पर्य रास्ते के रूप में अन्य कोई उपयुक्त विकल्प मौजूद ही नहीं है। रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तुत नक्शा ट्रेस(पी.35 क्रमांक 10858 दिनांक 29.01.2013) में हरे रंग से दर्शित रास्ता सर्वोतम एवं न्यूनतम दूरी का एकमात्र विकल्प ही मौजूद था जो अपीलाधीन निर्णय से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया है। इस निर्णय में किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलाधीन निर्णय यथावत रखने योग्य ठहरता है।

अतः लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 171/2012 बअनवान तुलछाराम वगैरा बनाम श्रीराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 28.05.2013 को यथावत रखा जाता है। तहसीलदार धौरीमन्ना को आदेशित किया जाता है कि वह अविलम्ब राजस्व रेकर्ड में दर्ज रास्ते को सार्वजनिक आवागमन हेतु खुलवाकर सुचारू करे।

2/8/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 02.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

2/8/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner